भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/04/99/2016/एफ0सी0/1497 दिनॉक 14.09.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Trans/13285/2015

विषय : 400 के0वी0डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ पारेक्षण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष के पातन, अलीगढ़ में 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 83 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–2051/81–2–2012–800(151)/2016, दिनांक–29.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य सरकार के पत्रांक पी–151/14–2–2016–800(151)/2016 दिनांक 25.10.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.03.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालनार्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौने प्रजाति की पौधों के रोपण, एन0पी0वी0 तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना आदि का विवरण उपरोक्त सदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़, हाथरास एवं एटा की 04 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः राज्य सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित विवरण/आख्या पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:–

1. Amount towards CA, dwarf medicinal plantation, NPV and Penal NPV needs to be deposited.
2. Complete compliance of AIP needs to be submitted.
3. Since the proposal has not been sent on PARIVESH Portal so the compliance needs to be uploaded on PARIVESH Portal.
4. If the transmission line has become functional without final approval then the prime responsibility lies with the user department. The State Government needs to submit a detailed report regarding any order or work permission issued by the user department to make the transmission line functional and when was it done.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :–

1. अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, हाथरस एवं अलीगढ़, उ0 प्र0।
4. जनरल मैनेजर, साउथ ईस्ट यू0पी0 पॉवर ट्रांसमिशन क0 लि0, शालीमार टाइअकनियम 601, छठां तल प्लाट संख्या/टीसी/जी.1ए विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश मत्रावली।

14.09.2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के.)